नितेश कुमार झा,
निदेशक

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
ऊर्जा पार्क परिसर, इण्डस्ट्रीयल एरिया,
पटेल नगर, देहरादून ।
फ़ोन: 0135-2521386, 2521387, फैक्स: 2521553

(128)

डायरी नं0- 207
Dy. No.-
पत्रावली सं0 - File No.- C-430/MKS
दिनांक- Date- 19/3/10

पत्रांक : 3219 / उरेडा / 4(1)-222 / सेला /2008
दिनांक : 15 ~~फरवरी~~ मार्च,2010

वरिष्ठ परियोजना अधिकारी,
उरेडा, पिथौरागढ़।

सेला लघु जल विद्युत परियोजना, क्षमता 50 कि0वा0 का निर्माण जनसहभागिता आधार पर कराए जाने हेतु ऊर्जा समिति के गठन/पंजीकरण एवं अन्य कार्यवाहियां पूर्ण कर लिए जाने सम्बन्धी आप द्वारा प्रेषित सूचनाओं का संदर्भ लें।

इस परियोजना के निर्माण हेतु ऊर्जा समिति, ए0एच0ई0सी0, आई0आई0टी0, रूड़की एवं वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उरेडा, पिथौरागढ़ के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर कराते हुए परियोजना निर्माण का कार्य जनसहभागिता आधार पर निम्नानुसार शर्तों के अधीन पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें:-

1. त्रिपक्षीय अनुबंध पर उरेडा की ओर से हस्ताक्षर किए जाने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है। त्रिपक्षीय अनुबंध का आलेख एवं अन्य विवरण संलग्न है।
2. सेला लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु रू0 96.21 लाख, सहयोगी संस्था (ए0एच0ई0सी0) को भुगतान हेतु रू0 3.20 लाख (सर्विस टैक्स अतिरिक्त) एवं अन्य प्रशासनिक/तकनीकी कार्यों के सम्पादन हेतु धनराशि रू0 0.94 लाख की स्वीकृति त्रिपक्षीय अनुबंध में निहित व्यवस्था के अनुरूप कार्यों के सम्पादन हेतु प्रदान की जाती है।
3. सेला लघु जल विद्युत परियोजना से सम्बन्धित ऊर्जा समिति के पदाधिकारियों, सम्बन्धित ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य एवं मा0 विधायकगणों को त्रिपक्षीय अनुबंध में विभिन्न पक्षों के दायित्वों तथा आवंटित धनराशि आदि से अवगत कराना सुनिश्चित करें।
4. परियोजना का तकनीकी विवरण, लागत, निर्माण की अवधि, प्राप्त होने वाली धनराशि की जानकारी ऊर्जा समिति के पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाये तथा पारदर्शिता के दृष्टिगत परियोजना से लाभान्वित होने वाले ग्रामों में परियोजना लागत, अंशदान, ऊर्जा समिति का विवरण आदि सूचनाऐं विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर दीवार लेखन के रूप में अंकित करा दी जायें।
5. परियोजना के क्रियान्वयन में शासनादेश संख्या 3731 दिनांक 3 अक्टूबर, 2005, 327 दिनांक 2 मार्च, 2009 एवं 115 दिनांक 15 जनवरी,2010 (प्रतियां संलग्न) में उल्लेखित प्रतिबंधों एवं शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
6. त्रिपक्षीय अनुबंध के बिन्दु संख्या (घ) 3. के अनुसार एक अवर अभियन्ता की सेवाऐं उपनल से संविदा आधार पर प्राप्त की जायेंगी तथा इस अवर अभियन्ता को अनुमन्य मानदेय/यात्रा व्यय आदि का भुगतान लाभार्थी संस्था की संस्तुति/कार्यों के सत्यापन के उपरान्त उरेडा परियोजना कार्यालय द्वारा किया जायेगा। यदि उपनल से अवर अभियन्ता की सेवाऐं किन्हीं कारणोंवश प्राप्त नहीं होती हैं तो परियोजना अधिकारी द्वारा उरेडा के अवर अभियन्ता से कार्यों का निरीक्षण कराते हुए Measurement/Payments आदि कार्यों को पूर्ण कराया जाय तथा कार्यों का विवरण माप पुस्तिका में नियमानुसार अंकित कराया जाय।
7. उक्त के अतिरिक्त ग्रामीण सहभागिता आधारित परियोजनाओं के निर्माण कार्यों/गुणवत्ता पर्यवेक्षण/ऑडिट/सहभागिता अंशदान आदि हेतु मुख्यालय से समय-2 पर जारी निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(नितेश कुमार झा)
निदेशक

प्रतिलिपिः **निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1. हैड, ए0एच0ई0सी0, आई0आई0टी0, रूड़की।
2. अध्यक्ष, सेला लघु जल विद्युत ऊर्जा समिति, ग्राम सेला, पो0-खाती, विकासखण्ड धारचूला, जनपद पिथौरागढ़।

निदेशक

मार्च 20,10

127

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तरांचल UTTARANCHAL

A 102200

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)

लघु जल विद्युत परियोजना सेला क्षमता 2X25 कि0वा0 की स्थापना, कमीशनिंग एवं प्रशिक्षण आदि कार्यों हेतु त्रिपक्षीय अनुबन्ध

(क) प्रस्तावना:

1. अनुबन्ध के पक्षकार: यह (अ) सेला लघु जल विद्युत ऊर्जा समिति, ग्राम सेला, विकासखण्ड धारचुला, जनपद पिथौरागढ़, जिसे आगे लाभार्थी संस्था कहा जायेगा (ब) वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र, आई0आई0टी0, रूड़की, जिसे आगे सहयोगी संस्था कहा जायेगा और (स) उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा), जिसे आगे उरेडा कहा जायेगा, के बीच अनुबन्ध को पुष्ट करने के लिए है ।

2. कार्यक्षेत्र: इस अनुबन्ध के अन्तर्गत सभी पक्षकार प्रस्तुत अनुबन्ध, उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विकासखण्ड धारचुला, जनपद पिथौरागढ़ में 2X25 कि0वा0 क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना के स्थल चयन, नियोजन, निर्माण, कमिशनिंग एवं प्रशिक्षण आदि कार्यों का सम्पादन कराने तथा परियोजना के संचालन एवं रख–रखाव करने के लिए सहमत हैं ।

3. अनुबन्ध की अवधि तथा प्रभावी तिथि: लाभार्थी संस्था एवं सहयोगी संस्था प्रभावी तिथि से तुरन्त कार्य प्रारम्भ करेगी / अनुबन्ध के अधीन समस्त कार्य प्रभावी तिथि से 24 माह के अन्दर पूर्ण किए जायेंगे । यह अनुबंध दिनांक .... से प्रभावी होगा।

अध्यक्ष
सेला लघुजल
विद्युत ऊर्जा समिति
सेला - धारचूला

अध्यक्ष / Head
वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र
Alternate Hydro Energy Centre
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
Indian Institute of Technology Roorkee

वरि० परियोजना अधिकारी
उरेडा–पिथौरागढ़

[illegible]
[illegible]-
[illegible]-

[illegible]
[illegible] विक्रेता / [illegible]

23 [illegible] 310

126

(ख) लाभार्थी संस्था के निवेश एवं उत्तरदायित्व

1. लाभार्थी संस्था 2X25 कि0वा0 क्षमता की लघु जल विद्युत परियोजना का नियोजन, निर्माण, स्थापना/कमिशनिंग से सम्बन्धित सभी कार्यों को निर्धारित समय अवधि के अनुसार पूर्ण करने हेतु उत्तरदायी होगी।

2. लाभार्थी संस्था द्वारा अपने ग्रामवासियों (उपभोगताओं) के सहयोग से कुल परियोजना पूँजी लागत की कम से कम 08 प्रतिशत धनराशि नगद/श्रमदान एवं भूमि के मूल्य के रूप में वहन करनी होगी।

3. लाभार्थी संस्था द्वारा परियोजना के निर्माण हेतु सामग्री क्रय, भण्डारण तथा उपभोग के सम्बन्ध में पृथक से अभिलेख (बाउचर फाईल, कैश बुक, लेजर, स्टोर बुक, मस्टरोल रजिस्टर, गुणवत्ता परीक्षण रजिस्टर, लाभार्थी अंशदान रजिस्टर, बैंक खाता पासबुक एवं चैकबुक आदि) माप पुस्तिका (एम0बी0) रखे जायेंगे तथा इन अभिलेखों को समय–2 पर भरा जायेगा तथा सभी अभिलेखों को सुरक्षित रूप से रखते हुए उरेडा एवं सहयोगी संस्था को निरीक्षण के समय उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होगी।

4. लघु जल विद्युत परियोजना के नियोजन, निर्माण, स्थापना/ कमिशनिंग हेतु प्रयुक्त होने वाली सभी सामग्री का प्रबन्ध, खरीद, भण्डारण इत्यादि लाभार्थी संस्था द्वारा निर्माता अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं से कोटेशन/निविदाऐं प्राप्त कर न्यूनतम दरदाता फर्म को आदेश देने से पूर्व उरेडा के परियोजना अधिकारी से तकनीकी विशिष्टियों का परीक्षण कराकर दरों को स्वीकृत कराया जायेंगा। इस हेतु सामग्री क्रय/संरचनाओं के निर्माण हेतु कोटेशन प्रपत्र/निविदा प्रपत्र/फर्मो के साथ किये जाने वाले अनुबन्ध प्रपत्र आदि उरेडा के वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी द्वारा तैयार कर लाभार्थी संस्था को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

5. लाभार्थी संस्था द्वारा लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता सहयोगी संस्था द्वारा तैयार की गयी डी0पी0आर0 में निर्धारित विशिष्टियों एवं मापदण्डों के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

6. लाभार्थी संस्था द्वारा लघु जल विद्युत परियोजना के निर्माण उपरान्त परियोजना की विभिन्न संरचनाओं को दैवीय आपदा से क्षति होने पर पुनः निर्माण किये जाने के लिये सभी संरचनाओं का बीमा अपने संशाधनों से कराया जायेगा।

7. लाभार्थी संस्था द्वारा ऊर्जा समिति के सदस्यों, आपरेटर आदि को निर्माण कार्यों/संचालन, रख–रखाव के लिए प्रशिक्षित किए जाने हेतु सहयोगी संस्था (ए0एच0ई0सी0) के पास भेजा जायेगा।

8. लाभार्थी संस्था द्वारा परियोजना के निर्माण कार्यों हेतु एक ऊर्जा समिति का गठन कर पंजीकरण कराया जाएगा । इस समिति में कम से कम 7 सदस्य होंगे। समिति द्वारा अपने बायलॉज (मॉडल बायलॉज उरेडा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा) तैयार किए जाएगें जिसमें विभिन्न कार्यों को सम्पादित कराने का दायित्व विभिन्न सदस्यों को दिए जाने, लाभार्थी/उपभोगताओं से पूँजी लागत के सापेक्ष अंशदान/श्रमदान एकत्र करने, डी0पी0आर0 के अनुसार कार्यों को पूर्ण कराने, विद्युत शुल्क का निर्धारण, विद्युत शुल्क की वसूली, आपरेटर की नियुक्ति, परियोजना के संचालन एवं रख–रखाव तथा समस्त आय–व्यय ब्योरा रखने सम्बन्धी विवरण सम्मिलित होगें ।

अध्यक्ष / Head
वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र
Alternate Hydro Energy Centre
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
Indian Institute of Technology Roorkee
रुड़की / Roorkee - 247 667

अध्यक्ष
सेला लघुजल
विद्युत ऊर्जा समिति
सेला - धारचूला

वरि० परियोजना अधिकारी
उरेडा–पिथौरागढ़

9. लाभार्थी संस्था द्वारा परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए पृथक से एक सेविंग बैंक खाता "सेला लघु जल विद्युत परियोजना – उरेडा" के नाम से खोला जाएगा जिसका संचालन ऊर्जा समिति के अध्यक्ष/कोषाध्यक्ष/सचिव एवं वरिष्ठ परियोजना अधिकारी, उरेडा पिथौरागढ़ द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा ।

10. लाभार्थी संस्था द्वारा निर्माण कार्यों के लिए बैंक से आहरित की जाने वाली नगद धनराशि एक समय में रू0 10,000/– से अधिक नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में अधिक नगद धनराशि बैंक से आहरित किए जाने से पूर्व वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा, पिथौरागढ़ से लिखित सहमति प्राप्त की जायेगी।

(ग) सहयोगी संस्था के निवेश एवं उत्तरदायित्व

1. सहयोगी संस्था, लाभार्थी संस्था को लघु जल विद्युत परियोजना के स्थल का चयन, सर्वेक्षण एवं स्थल पर एलाइनमैन्ट/ले–आउट तथा परियोजना के निर्माण हेतु सामग्री की विशिष्टियॉ तैयार करने, स्थापना, कमिशनिंग तथा संचालन एवं रख–रखाव तथा तकनीकी मार्गदर्शन देने तथा परियोजना के संचालन हेतु प्रशिक्षण देने हेतु उत्तरदायी होगी ।

2. सहयोगी संस्था द्वारा लाभार्थी संस्था से परियोजना की कुल लागत की 08 प्रतिशत धनराशि को नगद अथवा श्रम एवं भूमि के मूल्य के रूप में जमा कराने तथा उक्त धनराशि के व्यय का विवरण तैयार करने हेतु सहयोग दिया जायेगा।

3. परियोजना के सिविल, ई0एण्डएम0 तथा टी0एण्डडी0 कार्यों के लिए विशेषज्ञों की सेवाऐं आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेंगी तथा विभिन्न संरचनाओं के निर्माण हेतु ड्राईग एवं डिजाइन तैयार कर लाभार्थी संस्था को समय–2 पर उपलब्ध करायी जायेंगी। इस सेवा के सापेक्ष सहयोगी संस्था को उरेडा द्वारा अनुबंध में निर्धारित धनराशि दी जाएगी।

4. सहयोगी संस्था विभिन्न प्रकार की मशीनों यथा टरबाईन, जनरेटर, ई0एल0सी0, ट्रांसफार्मर इत्यादि की विशिष्टियां एवं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा अपव्यय को रोकने हेतु लाभार्थी संस्था का सहयोग करेगी।

5. सहयोगी संस्था द्वारा समय–समय पर परियोजना के निर्माण सम्बन्धी प्रगति रिपोर्ट तथा कार्यों की प्रगति/गुणवत्ता का निरीक्षण तथा तकनीकी सहयोग हेतु तकनीकी विशेषज्ञों को निर्माण अवधि के दौरान परियोजना स्थल का कम से कम 8 बार भेजा जाएगा तथा लाभार्थी संस्था को विभिन्न क्षेत्रों में पूर्ण तकनीकी सहयोग प्रदान किया जायेगा।

6. सहयोगी संस्था द्वारा लाभार्थी संस्था के सदस्यों तथा आपरेटर आदि (8 व्यक्तियों) को परियोजना के निर्माणकार्यों तथा संचालन एवं रख–रखाव हेतु निर्माण अवधि के दौरान 2 बार 4 दिवसीय प्रशिक्षण ए0एच0ई0सी0, रूड़की में प्रदान किया जायेगा। इस हेतु अनुबंध के अनुसार निर्धारित धनराशि उरेडा द्वारा भुगतान की जायेगी। (यह व्यवस्था उत्तरांचल शासन एवं ए0एच0ई0सी0 के मध्य हुए एम0ओ0यू0 में वर्णित व्यवस्था के अतिरिक्त होगी)

अध्यक्ष / Head
वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र
Alternate Hydro Energy Centre
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
Indian Institute of Technology Roorkee
रुड़की / Roorkee - 247 667

अध्यक्ष
सेला लघुजल
विद्युत ऊर्जा समिति
सेला - धारचूला

वरि० परियोजना अधिकारी
उरेडा–पिथौरागढ़

7. सहयोगी संस्था द्वारा निर्माणकार्य पूर्ण होने पर परियोजना की कमीशनिंग तथा टैस्टिंग का कार्य अपनी विशेषज्ञ टीम के माध्यम से कराया जायेगा तथा परियोजना की कम्पलीशन रिपोर्ट एवं संचालन/रख–रखाव मैनुअल तैयार कर लाभार्थी संस्था एवं उरेडा को उपलब्ध कराया जायेगा। इस हेतु अनुबंध के अनुसार निर्धारित धनराशि उरेडा द्वारा भुगतान की जायेगी।

8. कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता के सम्बन्ध में सहयोगी संस्था द्वारा अनुबंध में उल्लेखित भुगतान शर्तों के अनुसार प्रथम किश्त के उपरान्त दूसरी किश्त (एवं तद्नुसार आगामी किश्तों हेतु भी) निर्गत करने से पूर्व रिपोर्ट उपलब्ध करायी जायेगी जिसके आधार पर उरेडा द्वारा लाभार्थी संस्था को अगली किश्त का भुगतान निर्गत किया जायेगा।

9. परियोजना के निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता की कमी, सामग्री का दुरूपयोग, धनराशि का दुरूपयोग होने की दशा में सहयोगी संस्था द्वारा वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा पिथौरागढ़ एवं उरेडा मुख्यालय को तत्काल सूचित किया जायेगा ताकि किसी प्रकार की अनियमिता को रोकने हेतु कार्यवाही की जायेगी।

(घ) उरेडा के निवेश एवं उत्तरदायित्व

1. उरेडा, निर्धारित शर्तों/ कार्यों के पूर्ण होने की स्थिति में डी0पी0आर0/अनुबंध में उल्लेखित दरों तथा टेण्डर में अनुमोदित दरों के अनुसार देय धनराशि का भुगतान लाभार्थी संस्था को समय से करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

2. परियोजना के निर्माण के दौरान नियमित रूप से कार्यों की गुणवत्ता का परीक्षण तथा डी0पी0आर0 की विशिष्टियों के अनुरूप लाभार्थी संस्था से कार्य पूर्ण कराने हेतु वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा पिथौरागढ़ पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। लाभार्थी संस्था द्वारा सामग्री क्रय/कार्यादेश निर्गत करने हेतु निर्धारित कोटेशन/टैण्डर आदि की कार्यवाही कराने में वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

3. उरेडा द्वारा परियोजना के नियोजन से कमीशनिंग तक की अवधि में लाभार्थी संस्था को तकनीकी सहयोग दिए जाने के लिए एक अवर अभियन्ता की अनुबंध पर सेवाऐं लेकर (अधिकतम 8 मानव माह हेतु) उपलब्ध करायी जायेंगी। इस अवर अभियन्ता को अनुमन्य मानदेय/यात्रा व्यय का भुगतान लाभार्थी संस्था द्वारा कार्यों के सत्यापन के उपरान्त उरेडा द्वारा दिया जायेगा।

4. परियोजना के निर्माण के समय लाभार्थी संस्था एवं सहयोगी संस्था से सामंजस्य रखने हेतु उरेडा परियोजना कार्यालय, पिथौरागढ़ के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी उत्तरदायी होगें ।

5. परियोजना की स्थापना/कमिशनिंग तथा प्रशिक्षण आदि के लिए सहयोगी संस्था से सम्पर्क कर ट्रेनिंग मॉड्यूल तैयार कराने, लाभार्थी संस्था को प्रशिक्षण हेतु आमंत्रित करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

अध्यक्ष / Head
वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र
Alternate Hydro Energy Centre
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
Indian Institute of Technology Roorkee
रुड़की / Roorkee - 247 667

अध्यक्ष
सेला लघुजल
विद्युत ऊर्जा समिति

वरि० परियोजना अधिकारी
उरेडा–पिथौरागढ़

124

6. उरेडा परियोजना कार्यालय पिथौरागढ़ द्वारा लाभार्थी संस्था को सामग्री क्रय, भण्डारण तथा उपभोग के सम्बन्ध में पृथक से अभिलेख रखने, बाउचर फाईल, कैश बुक, लेजर, स्टोर बुक, मस्टरोल रजिस्टर, गुणवत्ता परीक्षण रजिस्टर, लाभार्थी अंशदान रजिस्टर, बैंक खाता पासबुक एवं चैकबुक आदि को समय–2 पर भरने, अपडेट करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा उक्त अभिलेखों को पूर्ण कराने हेतु सहयोग दिया जायेगा।

7. लाभार्थी संस्था को परियोजना के नियोजन, निर्माण, संचालन एवं रख–रखाव हेतु अभिलेख तैयार करने के लिए वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा, पिथौरागढ़ द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन दिया जाएगा तथा लाभार्थी संस्था के खाते का प्रत्येक माह में व्यय का ब्यौरा प्राप्त करने हेतु लेखा सहायक की समय–समय पर सेवाऐं उपलब्ध करायी जाएगी ।

8. परियोजना के निर्माण कार्यों हेतु सामग्री खरीद, लेबर भुगतान, यात्रा व्यय इत्यादि पर किए गए व्यय का प्रत्येक 6 माह में चार्टेड एकाउन्टैन्ट की सेवाऐं प्राप्त कर आडिट कराने का उत्तरदायित्व वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा, पिथौरागढ़ का होगा।

9. सहयोगी संस्था को उनके उत्तरदायित्व का निवर्हन संतोषजनक रूप से किए जाने पर भुगतान शर्तों के अनुरूप निर्धारित धनराशि का भुगतान सम्बन्धित वरिष्ठ/परियोजना अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

10. परियोजना के निर्माण कार्यों के लिए लाभार्थी संस्था द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, कीमत एवं तकनीकी विशिष्टियों के सम्बन्ध में वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, पिथौरागढ़ द्वारा तकनीकी रूप से परीक्षण कर संस्तुति दी जायेगी।

11. परियोजना के निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की गुणवत्ता की कमी, सामग्री का दुरूपयोग, धनराशि का दुरूपयोग होने की दशा में वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा पिथौरागढ़ द्वारा लाभार्थी संस्था के विरूद्ध नियमानुसार धनराशि वसूली की कार्यवाही की जायेगी।

12. परियोजना का निर्माण निर्धारित अवधि में पूर्ण कराने हेतु वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा पिथौरागढ़ उत्तरदायी होंगे। विषम परिस्थितियों (दैवीय आपदा, बाढ़, आग, भूस्खलन, सामग्री की अनउपलब्धता, हड़ताल आदि) में वरिष्ठ परियोजना अधिकारी/परियोजना अधिकारी/प्रभारी, उरेडा पिथौरागढ़ द्वारा अनुबंध अवधि को उरेडा मुख्यालय की सहमति के उपरान्त बढ़ाया जा सकेगा।

अध्यक्ष / Head
वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र
Alternate Hydro Energy Centre
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
Indian Institute of Technology Roorkee
रुड़की / Roorkee - 247 667

अध्यक्ष
सेला लघुजल
विद्युत ऊर्जा समिति

वरि० परियोजना अधिकारी
उरेडा–पिथौरागढ़

(ङ) पूँजी लागत योगदान

1. अनुबन्ध की सम्पूर्ण धनराशि का विवरण निम्नवत होगा ।

क. डी0पी0आर0 में निर्धारित की गयी परियोजना लागत (डी0पी0आर0 में उल्लिखित समस्त निर्माण सलंग्नक–1 के अनुसार)	:	रू0 9621000.00
ख. तकनीकी सुपरविजन, गुणवत्ता निरीक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यों पर व्यय (संलग्नक–2 के अनुसार)	:	रू0 320000.00
ग. परियोजना के निर्माण हेतु लाभार्थी संस्था को तकनीकी कार्यों के सम्पादन तथा प्रशासनिक कार्यों हेतु व्यय (संलग्नक–3 के अनुसार)	:	रू0 94000.00
कुल योग	:	रू0 10035000.00

2. कुल अनुबन्ध की धनराशि में लाभार्थी संस्था तथा उरेडा का योगदान निम्नवत होगाः–

उरेडा योगदान (संलग्नक ख एवं ग लागत को सम्मिलित करते हुए)	:	रू0 9265320.00
लाभार्थी संस्था का योगदान (डी0पी0आर0 में निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित व्यय की 8 प्रतिशत धनराशि)	:	रू0 769680.00

(नोटः निर्माण कार्यों की वास्तविक लागत/विवरण विभिन्न सामग्री/संरचनाओं के क्रय/निर्माण पर कोटेशन/टैण्डर के आधार पर आंकलित धनराशि के अनुसार मान्य होगी।)

अध्यक्ष
सेला लघुजल
विद्युत ऊर्जा समिति
... - धारचूला

प्रा० परियोजना अधिकारी
उरेडा–पिथौरागढ़

अध्यक्ष / Head
वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र
Alternate Hydro Energy Centre
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
Indian Institute of Technology Roorkee
रुड़की / Roorkee - 247 667

(च) उरेडा द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रकारः

(नोटः निर्माण कार्यों की वास्तविक लागत/विवरण विभिन्न सामग्री/संरचनाओं के क्रय/निर्माण पर कोटेशन/टैण्डर के आधार पर आंकलित धनराशि के अनुसार मान्य होगी।)

- उरेडा द्वारा लाभार्थी संस्था एवं सहयोगी संस्था को निम्नानुसार धनराशि का भुगतान किया जायेगा :–

क्र.सं.	कार्यों का विवरण/भुगतान की शर्तें	लाभार्थी संस्था	सहयोगी संस्था
1.	त्रिपक्षीय अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने, स्थल चयन, तथा भूमि हस्तान्तरण होने पर सिविल कार्य की धनराशि के सापेक्ष	उरेडा योगदान लागत (सिविल कार्य) की 8 प्रतिशत धनराशि	–
2.	स्थल चयन, प्रत्येक अवयव हेतु डिमार्केशन, ड्राईंग एवं डिजाइन के सापेक्ष	–	सहयोगी संस्था को दी जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि
3.	सिविल कार्य में लागत एवं कार्य के अनुसार प्रत्येक अवयव के सापेक्ष माप के अनुसार भुगतान के सापेक्ष	उरेडा योगदान लागत (सिविल कार्य) की 92 प्रतिशत धनराशि	–
4.	ई0एण्डएम0 एवं टी0एण्डडी0 कार्यों की विशिष्टियां, ले–आउट एवं सम्बन्धित गाईडलाईन पर	–	सहयोगी संस्था को दी जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि
5.	ई0एण्डएम0 एवं टी0एण्डडी0 कार्यों के कार्यादेश दिए जाने पर सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को बैंक गारन्टी के सापेक्ष अग्रिम भुगतान हेतु	उरेडा योगदान (ई0एण्डएम0 एवं टी0एण्डडी0) लागत की 25 प्रतिशत धनराशि	
6.	ई0एण्डएम0 सामग्री परियोजना स्थल पर आपूर्ति के सापेक्ष	उरेडा योगदान (ई0एण्डएम0) लागत की 45 प्रतिशत धनराशि	
7.	ई0एण्डएम0 कार्यों की स्थापना एवं परीक्षण उपरान्त (इस दशा में फर्म द्वारा दी गयी बैंक गारन्टी भी अवमुक्त की जायेंगी)	उरेडा योगदान (ई0एण्डएम0) लागत की 20 प्रतिशत धनराशि	सहयोगी संस्था को दी जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि
8.	ई0एण्ड0एम0 स्थापना एवं परीक्षण के एक वर्ष के सफल संचालन उपरान्त (यह धनराशि 15 माह की अवधि की बैंक गारन्टी के सापेक्ष अवमुक्त की जा सकती है)	उरेडा योगदान (ई0एण्डएम0) लागत की 10 प्रतिशत धनराशि	
9.	टी0एण्डडी0 सामग्री के रोड हैड तक आपूर्ति के सापेक्ष	उरेडा योगदान (टी0एण्डडी0) लागत की 35 प्रतिशत धनराशि	
10.	टी0एण्डडी0 कार्यों की स्थापना एवं कमीशनिंग के सापेक्ष	उरेडा योगदान (टी0एण्डडी0) लागत की 30 प्रतिशत धनराशि	
11.	टी0एण्डडी0 लाईन के 1 वर्ष तक सफल संचालन के सापेक्ष (यह धनराशि 15 माह की अवधि की बैंक गारन्टी के सापेक्ष अवमुक्त की जा सकती है)	उरेडा योगदान (टी0एण्डडी0) लागत की 10 प्रतिशत धनराशि	

अध्यक्ष / Head
वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र
Alternate Hydro Energy Centre
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
Indian Institute of Technology Roorkee
रुड़की / Roorkee - 247 667

अध्यक्ष
सेला लघुजल
विद्युत ऊर्जा समिति
सेला - धारचूला

वरि० परियोजना अधिकारी

12.	सहयोगी संस्था द्वारा परियोजना की कमीशनिंग एवं टैस्टिंग पूर्ण कराने लाभार्थी संस्था को संचालन एवं रख–रखाव हेतु समुचित तकनीकी प्रशिक्षण देने तथा परियोजना की कमीशनिंग रिपोर्ट उपलब्ध कराने के उपरान्त	–	सहयोगी संस्था को दी जाने वाली धनराशि की 25 प्रतिशत धनराशि

(छ) कर

लाभार्थी संस्था और सहयोगी संस्था अनुपालनीय कानूनों के तहत समस्त करों, महसूलों, शुल्कों, उगाहियों व अन्य थोपे गये करों का भुगतान करने के लिए जिम्मेवार होंगे।

(ज) अनुबन्ध का समापन

- लाभार्थी संस्था अथवा सहयोगी संस्था द्वारा अनुबन्ध के अन्तर्गत कार्यों में किसी प्रकार की कमी किए जाने, धनराशि का दुरूपयोग करने, सामग्री की गुणवत्ता घटाने अथवा कार्य पूर्ण न करने पर उरेडा को यह अधिकार होगा कि उस कार्य/कार्यों के सापेक्ष भुगतान को रोक दे अथवा दी गयी समस्त धनराशि की वसूली जिला प्रशासन के माध्यम से करवा ले।
- लाभार्थी संस्था, सहयोगी संस्था और उरेडा के मध्य किसी विवाद के उत्पन्न होने पर यह मामला, सचिव ऊर्जा / अध्यक्ष, उरेडा, उत्तराखण्ड शासन की अनन्य मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जायेगा, जो स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि से मध्यस्थता करा सकते हैं, जो उनका अधिनिर्णय होगा, सभी पक्षकरों के लिए बंधनकारी होगा । पक्षकारों के बीच सभी विवाद देहरादून क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत रहेंगे ।

(झ) हस्ताक्षर

- यह अनुबन्ध एक प्रति में तैयार किया जायेगा । इसकी मूल प्रति उरेडा परियोजना कार्यालय में रहेगी तथा प्रमाणित प्रति क्रमशः लाभार्थी संस्था एवं सहयोगी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी ।

लाभार्थी संस्था का अधिकृत हस्ताक्षरी	सहयोगी संस्था का अधिकृत हस्ताक्षरी	उरेडा का अधिकृत हस्ताक्षरी
अध्यक्ष सेला लघुजल विद्युत ऊर्जा समिति सेला - धारचूला		वरि० परियोजना अधिकारी उरेडा–पिथौरागढ़
गांव	नाम....................	नाम ....
गॉव/पोस्ट .... ग्राम- सेला पो०- सेला (धारचूला)	पदनाम..................	पदनाम..................
जनपद पिथौरागढ़	पता	पता ....
दिनांक	दिनांक.	अध्यक्ष / Head वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र Alternate Hydro Energy Centre भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की Indian Institute of Technology Roorkee रुड़की / Roorkee - 247 667 दिनांक ....
गवाह: 1. .... नन्दन राम ग्राम प्रधान उग्गू पो० उग्गू	1.	1. ....

122

संलग्नक–1

शासन द्वारा अनुमोदित की गई परियोजना लागत

परियोजना का नामः सेला लघु जल विद्युत परियोजना

क्र.सं.	कार्य का नाम	मात्रा	दर	धनराशि (रू0 में)
1-	सिविल कार्य			
(i)	डाईवर्जन वेयर निर्माण संलग्न विवरण एवं ड्राईंग के अनुसार	1 जाब		461000.00
(ii)	फीडर चैनल का निर्माण संलग्न विवरण एवं ड्राईंग के अनुसार	1 जाब		267000.00
(iii)	डिसिल्टिंग टैंक का निर्माण संलग्न विवरण एवं ड्राईंग के अनुसार	1 जाब		221000.00
(iv)	पावर चैनल का निर्माण संलग्न विवरण एवं ड्राईंग के अनुसार	1 जाब		697000.00
(v)	फोरवे टैंक एवं स्केप चैनल का निर्माण संलग्न विवरण एवं ड्राईंग के अनुसार	1 जाब		320000.00
(vi)	पेनस्टॉक पाईप, एन्कर ब्लॉक एवं शेड्ल ब्लॉक का निर्माण संलग्न विवरण एवं ड्राईंग के अनुसार	1 जाब		382000.00
(vii)	पावर हाउस, मशीन फाउन्डेशन एवं टेलरेस आदि का निर्माण संलग्न विवरण एवं ड्राईंग के अनुसार	1 जाब		862000.00
	योग			**3210000.00**
2-	ई0एण्डएम0 कार्य			
(i)	25 कि0वा0 टर्गो–इम्पल्स/पैल्टन/क्रॉस फ्लो टरबाईन समस्त अवयवों सहित की आपूर्ति	2 संख्या		500000.00
(ii)	25 कि0वा0, 0.415 के0वी0, 03 फेज सिंक्रोनस जनरेटर की आपूर्ति	2 संख्या		250000.00
(iii)	जनरेटर/टरबाईन, कन्ट्रोल पैनल सुरक्षा, समस्त मीटरों सहित आपूर्ति	2 संख्या		500000.00
(iv)	इलैक्ट्रॉनिक लोड़ कन्ट्रोलर एवं इलैक्ट्रॉनिक पैनल समस्त अवयवों सहित आपूर्ति	2 संख्या		500000.00
(v)	मेन इनलेट वॉल्व टरबाईन को आकस्मिक रूप से बंद करने हेतु आपूर्ति	2 संख्या		200000.00
(vi)	1 टन चेन पुली ब्लॉक, हैण्ड लिफ्टिंग सिस्टम, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम	1 जाब		45000.00
(vii)	पावर एण्ड कन्ट्रोल, पी0वी0सी0 केबिल, पावर हाउस की लाईटिंग, डी0सी0 बैट्री चार्जर एवं डिस्ट्रिब्यूशन बोर्ड	1 जाब		250000.00
(viii)	एल0.टी0 डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड एम0सी0सी0वी0 सहित	1 जाब		50000.00
(ix)	पावर हाउस की मशीनों की अर्थिंग, जनरेटर ब्रेकर, ट्रॉसफार्मर की ए0सी0बी0, सीटीज एवं सुरक्षा रिले सहित	1 जाब		200000.00

अध्यक्ष / Head
वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र
Alternate Hydro Energy Centre
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
Indian Institute of Technology Roorkee
रुड़की / Roorkee - 247 667

अध्यक्ष
सेला लघुजल
विद्युत ऊर्जा समिति

वरि० परियोजना अधिकारी

(x)	स्विचयार्ड, स्टैप–अप ट्रांसफार्मर 40 के0वी0ए0, 0.415 / 11 के0वी0 ओनान पुलिंग कम्पलीट अवयवों सहित	2 संख्या		100000.00
(xi)	ट्रॉसफार्मर हेतु प्लिन्थ, आइसोलेटर, लाइटनिंग अरेस्टर, फ्यूज सैट 4 संख्या पोल सहित	1 जाब		160000.00
(xii)	स्थापना एवं कमीशनिंग (समस्त ई0एण्डएम0 उपकरणों की)	1 जाब		350000.00
(xiii)	मशीनों का परिवहन एवं ढुलान (समस्त ई0एण्डएम0 उपकरणों का)	1 जाब		400000.00
(xiv)	स्विचयार्ड की फैन्सिंग गैट सहित	1 जाब		50000.00
(xv)	स्विचयार्ड के अवयवों की पेन्टिंग का कार्य	1 जाब		15000.00
	योग			**3570000.00**
3-	टी0एण्डडी0 कार्य (मात्रा के अनुसार वास्तविक भुगतान किया जायेगा)			
(i)	11 के0वी0, 3 फेज पारेषण लाईन	0.6कि0मी0	390000.00	234000.00
(ii)	3 फेज, 4 वायर वितरण लाईन	1.5कि0मी0	410000.00	615000.00
(iii)	1 फेज, 2 वायर वितरण लाईन	0.5कि0मी0	230000.00	115000.00
(iv)	40 के0वी0ए0 11 / 0.415 पोल माउन्ट सब–स्टेशन कम्पलीट	2 संख्या	180000.00	360000.00
	योग			**1324000.00**
4-	अन्य कार्य			
(i)	स्थल चयन, सर्वेक्षण (सिविल एवं विद्युत लाईन) बैंच मार्क से संदर्भित पिलरों का निर्माण कार्य इत्यादि	1 जाब		40000.00
(ii)	वन भूमि हस्तान्तरण, लीज रैन्ट, सरकारी भूमि अधिग्रहण एवं अन्य भूमि केस से सम्बन्धित कार्य	1 जाब		999000.00
(iii)	परियोजना हेतु आवश्यक टूल्स संलग्नक 4 के अनुसार	1 जाब		60000.00
(iv)	स्पेयर पार्टस समस्त ई0एण्डएम0 एवं टी0एण्डडी0 कार्यों हेतु (संलग्नक–5) के अनुसार	1 जाब		100000.00
(v)	पेयजल हेतु पावर हाउस में पाईप लाईन का निर्माण, टॉयलेट (सोकपिट एवं सैप्टिक टेंक सहित) का निर्माण	1 जाब		63000.00
(vi)	डाईवर्जन वेयर से पावर हाउस तक सर्विस मार्ग निर्माण हेतु स्थल विकास	1 जाब		100000.00
(vii)	प्राथमिक उपचार बॉक्स	1 जाब		1000.00
(viii)	स्टोर किराया परियोजना स्थल पर 36 माह हेतु कम से कम 300 वर्ग फिट क्षेत्रफल रू0 1500 /– प्रतिमाह की दर से	1 जाब		54000.00
(ix)	प्रशासनिक व्यय यथा कार्यालय, फर्नीचर, अतिथि व्यय परियोजना के सूचना बोर्ड (2 नं0) एवं अन्य सेवाओं	1 जाब		100000.00
	योग			**1517000.00**
	महायोग (1+2+3+4)			**9621000.00**
	(रूपये छियानवे लाख इक्कीस हजार मात्र)			

अध्यक्ष / Head
वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र
Alternate Hydro Energy Centre
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
Indian Institute of Technology Roorkee
रुड़की / Roorkee - 247 667

अध्यक्ष
सैला लघुजल ऊर्जा समिति

वरि० परियोजना अधिकारी

121

संलग्नक–2

तकनीकी सुपरविजन, गुणवत्ता निरीक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यों पर व्यय (सहयोगी संस्था– ए0एच0ई0सी0, रूड़की)

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	दर	धनराशि (रू0में)
1.	सर्वेक्षण एवं स्थल पर एलाइनमैन्ट / ले–आउट का कार्य	–	–	40,000.00
2.	परियोजनाओं के निर्माण हेतु विस्तृत ड्रांईग एवं डिजाइन का कार्य (सिविल, टी0एण्डडी0 एवं ई0एण्डएम0)	–	–	1,00,000.00
3.	परियोजना के निर्माण हेतु तकनीकी सहयोग एवं कार्यों की गुणवत्ता निरीक्षण पर व्यय	8 विजिट	रू0 8,000/– प्रति विजिट	64,000.00
4.	ऊर्जा समिति, आपरेटर/तकनीशियनों को निर्माण कार्यों तथा परियोजना के संचालन / रख–रखाव हेतु प्रशिक्षण – 2 संख्या	8 प्रतिभागियों को 4 दिन का प्रशिक्षण	रू0 20,000/– प्रति प्रशिक्षण (प्रशिक्षणार्थियों का यात्रा व्यय सम्मिलित नहीं)	40,000.00
5.	परियोजना की स्थापना/कमीशनिंग तथा टैस्टिंग का कार्य	–	–	50,000.00
6.	विविध व्यय (परियोजना की कम्पलीशन रिपोर्ट, संचालन/रख–रखाव मैनुअल आदि कार्य)	–	–	26,000.00
			योग	3,20,000.00

नोटः– उपरोक्त धनराशि पर सर्विस टैक्स वास्तविक रूप से देय होगा।

अध्यक्ष
सेला लघुजल
विद्युत ऊर्जा समिति
सेला - धारचूला

अध्यक्ष / Head
वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र
Alternate Hydro Energy Centre
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
Indian Institute of Technology Roorkee
रुड़की / Roorkee - 247 667

वरि॰ परियोजना अधिकारी
उरेडा–पिथौरागढ़

संलग्नक–3

परियोजना के निर्माण हेतु लाभार्थी संस्था को तकनीकी कार्यों के सम्पादन तथा प्रशासनिक कार्यों हेतु व्यय विवरण

क्र.स.	कार्य/गतिविधी का नाम	माह	दर (रू0)	धनराशि (रू0 में)
1.	सिविल कार्यों को कराने हेतु तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक अवर अभियन्ता की सेवाऐं उपलब्ध कराने पर व्यय	8 मानव माह	5000/– प्रतिमाह तथा यात्रा व्यय पर रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से	48,000.00
2.	लाभार्थी संस्था द्वारा फाईल, कैश बुक, लेजर, स्टोर बुक, मस्टरोल रजिस्टर, गुणवत्ता परीक्षण रजिस्टर, लाभार्थी अंशदान रजिस्टर, बैंक खाता पासबुक एवं चैकबुक आदि को क्रय करने पर व्यय	–	–	2,000.00
3.	ऊर्जा समिति के सदस्यों एवं आपरेटर को ए0एच0ई0सी0, रूड़की में प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु की जाने वाली यात्रा एंव सामग्री क्रय करने हेतु विभिन्न फर्मों से कोटेशन प्राप्त करने/आर्डर देने एवं सामग्री स्थल तक लाने हेतु की जाने वाली यात्राओं पर यात्रा व्यय। (8 व्यक्तियों द्वारा)	प्रशिक्षण हेतु 2 बार तथा अन्य कार्यो हेतु 4 भ्रमण	रू0 4,000/– प्रति यात्रा की दर से कुल 6 यात्राओं हेतु	24,000.00
4.	ऊर्जा समिति के सदस्यों एवं आपरेटर आदि के अन्य परियोजनाओं पर क्रास विजिट हेतु की जाने वाली यात्रा पर व्यय। (8 व्यक्तियों द्वारा)	01 विजिट	10,000/– प्रति	10,000.00
5.	स्थानीय स्तर पर परियोजना हेतु किए गए व्यय तथा अभिलेखों को सुव्यवस्थित रखने तथा ऑडिट कराने के लिए चार्टेड एकाउन्टैन्ट की सेवाऐं प्राप्त किए जाने पर व्यय	1 जॉब	–	10,000.00
			कुल योग	94,000.00
				(रूपये चौरानवे हजार मात्र)

अध्यक्ष / Head
वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र
Alternate Hydro Energy Centre
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
Indian Institute of Technology Roorkee
रुड़की / Roorkee - 247 667

नोट:– उपरोक्त प्रस्तावित व्यय धनराशि में से क्रम संख्या 2,3,4 पर अंकित व्यय लाभार्थी संस्था को उरेडा द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा क्रम संख्या 1 एवं 5 पर प्रस्तावित व्यय धनराशि उरेडा द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। अवर अभियन्ता की सेवओं के सापेक्ष व्यय लाभार्थी संस्था (ऊर्जा समिति) द्वारा कार्यों के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराए जाने पर उरेडा द्वारा भुगतान दिया जायेगा।

अध्यक्ष
सेला लघुजल
विद्युत ऊर्जा समिति

वरि० परियोजना अधिकारी
उरेडा–पिथौरागढ़

D:\trip Agreement\Trip Agreement of SHP's Pithoragarh\Tripotiate Agreement- Sela 50 KW.doc

TC

120

TABLE - 7.3
Electrical & Mechanical works
Sela Micro Hydro Project (2 X 25 KW)

Sl. No.	Item	Quantity	Amount Rs. Lacs	
1	GENERATING PLANT AND EQUIPMENT			
1.1	Cross flow Turbine to deliver 25 kW at Generator terminals with shaft, runner, casing, bearings, oil pressure units etc. and all other auxiliaries with 10% continuous over rating	2 Nos.	5.00	
1.2	Synchronous Generator 25 kW, 0.415 kV, 3 Phase, 0.80 Pf, 50 Hz± 3%, 1500 rpm, class 'F' insulation, terminal equipment like neutral grounding system, CTs, PTs, LA/SC and other auxiliary system with 10% continuous over rating	2 Nos.	2.50	
1.3	PLC based Generator/Turbine control panels including Protection, metering systems all indicating instruments and switches etc .	2 Sets	5.00	
1.4	Electronic load Controller including electronic panels complete in all respect and suitable for above system with ballast load.	2 Sets	5.00	
1.5	Main inlet valves suitable for fixing on penstocks for emergency closing	2 Nos.	2.00	
1.6	Spares for 5 years operation.	1 Set	1.00	—
	Sub - Total		20.50	19.50
2	**STATION AUXILIARIES**			
2.1	**Mechanical Auxiliaries**			
2.1.1	1 Tonne chain pulley block	1 No.	0.30	
2.1.2	Fire Protection system	1 Set	0.15	
2.2	**Electrical Auxiliaries**			
2.2.1	Power and Control PVC cables		1.00	
2.2.2	Lighting in the power house and appurtent works		0.50	
2.2.3	24 Volts 100 AH D.C. battery, charger and Distribution Board.		1.00	
2.2.4	L.T. Distribution Board including busbar & MCCBs of adequate capacity.		0.50	
2.2.5	Earthing of power house equipment including earthmat.		1.00	
2.2.6	63 A 10 KA 1.1 KV Generator breaker (MCCB)	2 Nos.	0.50	
2.2.7	63 A 10 KA 1.1 KV breaker for T/F L.T side.	2 Nos.	0.50	
	Sub - Total		5.45	
3	**Switch Yard**			
3.1	Step up Transformers 40 kVA, 0.415/11KV ONAN cooling complete with all accessories, oil, spares for 5 years.	2 Nos.	1.00	
3.2	630A, 16KA, 12KV line isolator with earthing switch, lightning arrestor, fuseset, double pole structure fencing and earthing.	2 Sets	1.00	
3.3	630A, 16KA, 12KV Bus isolator.	3 Nos.	0.60	
	Sub - Total		2.60	
	Total		28.55	27.55
4	Freight, insurance and octroi of (1) to (3) charges @ 20% (Material is to be transported on head load for a distance of 20 Km)	L.S	5.71	4.00
5	Erection & Commissioning of (1) to (3) @ 15%	L.S.	4.28	3.50
	Total E & M Works		38.54	35.05

अध्यक्ष
सेला लघुजल
विद्युत ऊर्जा समिति
सेला - धारचूला

अध्यक्ष / Head
वैकल्पिक जल ऊर्जा केन्द्र
Alternate Hydro Energy Centre
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की
Indian Institute of Technology Roorkee
रुड़की / Roorkee - 247 667

C.P.O.
UREDA, U.A.

वरि॰ परियोजना अधिकारी
उरेडा–पिथौरागढ़